# न्यायलय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ(चूरू)

पीठासीन अधिकाररी – ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या – 104/2019

आदेश दिनांक – 16/01/25

प्रकाश कंवर पुत्री स्व0 कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ जिला चूरू

वादीनी

बनाम

1. स्व0 सिरेकंवर धर्मपत्नी स्व0 कल्याण सिंह राजपूत निवासीनी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ जिला चूरू
2. मदन सिंह पुत्र स्व0 कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ जिला चूरू
3. हरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ जिला चूरू
4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ

प्रतिवादीगण

6. किरण कंवर पुत्री स्व0 कल्याणसिंह जाति निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ जिला चूरू
7. प्रेम कंवर पुत्री स्व0 कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

लगातार 2 पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

# वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :-

1. श्री विजेन्द्र सिह एडवोकेट वादीनी
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एकतरफा कार्यवाही

## —:निर्णय:—

वादीनी की और से वाद इस आशय का पेश किया गया, कि वादीनी एवं गोण प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पति व पिता कल्याण सिह के खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खंसरा नं0 93 तादादी 0.0632 हैक्टेयर खंसरा नं0 149 तादादी 1.2518 हैक्टेयर खंसरा नं0 94 तादादी 5. 6270 हैक्टेयर कुल तादादी 6.9420 हैक्टैयर वाके रोही ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित है। जिसमें वादीनी का 1/7 हिस्सा नियत है। कल्याण सिंह के स्वर्गवास के पश्चात वादगत खेतों में वादीनी का 1/7 हिस्सा कायम हो गया। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गफलत व साठ—गांठ से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा लिया। जबकि वादीनी व गोण प्रतिवादीनी संख्या 6 व 7 का भी प्रत्येक का 1/7 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। इस गलत इन्द्राज के कारण वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वो अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये। जिसकी वो अधिकारीणी है।

इस पर दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 बावजूद समन तामिल के उपस्थित न आने के कारण एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई गई । व गौण प्रतिवादीनी संख्या 6 व 7 बाद तामिल उपस्थित नहीं पेरोकारराज ने राज्य हित न होना जाहिर किया।

वादीनी ने अपने दावे के समर्थन में नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 नकल अक्स प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 नामान्तरण संख्या 131 की सत्य प्रतिलिपि पेश कि जिसमें वादगत खेत कल्याण सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के नाम दर्ज है। दौराने विचारण वाद प्रतिवादी संख्या सिरेकंवर के मृत्यु हो गई, जिसका मृत्यु

लगातार 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते ... जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

प्रमाण पत्र की फोटो प्रति व प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. का वादीनी ने पेश किया। प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. का स्वीकार कर प्रतिवादीनी संख्या 1 के नाम के आगे स्व0 अंकित किया गया, तथा वाद में अंकित हिस्सा 1/7 के स्थान पर वाद में लाल स्याही से 1/6 अंकित किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादीनी का कथन था कि वादगत भूमि कल्याण सिंह के खोतदारी कब्जा काश्त की थी। उनके स्वर्गवास के बाद वादीनी व गौण प्रतिवादीनी संख्या 6 व 7 भी बराबर के अधिकारी थे। विरासतन ईन्तकाल दर्ज करते समय केवल प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का नाम दर्ज कर दिया गया। वादीनी व गौण प्रतिवादीनी संख्या 6 व 7 का नाम दर्ज नहीं किया, जबकि वो विरासतन अधिकारिणी है। इसलिए प्रति वादीनी व गौण प्रतिवादीनी संख्या 6 व 7 के नाम खातेदारी 1 /6 हिस्सा दर्ज कि जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी के अनुसार वादगत भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नकल नामान्तरण संख्या 131 के अनुसार वादगत भूमि कल्याण सिंह के नाम से स्थित थी। तत्पश्चात् वादगत भूमि के विरासतन ईन्तकाल में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज हुई। मुताबिक रेकार्ड से यह भूमि पुश्तेनी भूमि है। इस लिए वादीनी व गौण प्रतिवादीनी 6 व 7 स्व0 कल्याण सिंह के वारिसान हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत उतराधिकारी है। इस लिए इनका नाम भी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के साथ 1/7 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। जो नहीं हुआ है, इस प्रकार वर्तमान रेकार्ड वादीनी व गौण प्रतिवादीनी संख्या 6 व 7 के अधिकारों के विपरित होने के कारण खारिज योग्य है। व वादगत भूमि में वादीनी व गौण प्रतिवादीनी संख्या 6 व 7 को वादगत भूमि में 1/6 हिस्सा के प्रत्येक को खातेदार घोषित किये जाते है।

**—:आदेश:—**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीनी डिकी किया जाकर घोषित किया जाता है, कि वादगत खेत खसरा नं0 93 तादादी 0.0632 हैक्टेयर खसरा नं0 149 तादादी 1.2518 हैक्टेयर खसरा नं0 94 तादादी 5.6270 हैक्टेयर कुल तादादी 6.9420 हैक्टैयर वाके रोही ग्राम कानूता तहसील

लगातार 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

सुजानगढ जिला चूरू में वादीनी व गौण प्रतिवादीनी संख्या 6 व 7 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा के खातेदार है। वर्तमान रेकार्ड गलत है। इसलिए इसे निरस्त किया जाता है, व वादगत भूमि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 व गौण प्रतिवादीनी संख्या 6 व 7 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदा सुजानगढ को आदेशित किया जाता है, कि मुताबिक निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़

इजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

## प्रकाश कंवर बनाम सिरेकंवर आदि

## वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 104 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .................................................. हाजरी श्री विजेन्द्र सिंह एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीनी डिकी किया जाकर घोषित किया जाता है, कि वादगत खेत खंसरा नं0 93 तादादी 0.0632 हैक्टेयर खंसरा नं0 149 तादादी 1.2518 हैक्टेयर खंसरा नं0 94 तादादी 5.6270 हैक्टेयर कुल तादादी 6.9420 हैक्टैयर वाके रोही ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ जिला चूरू में वादीनी व गौण प्रतिवादीनी संख्या 6 व 7 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा के खातेदार है। वर्तमान रेकार्ड गलत है। इसलिए इसे निरस्त किया जाता है, व वादगत भूमि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 व गौण प्रतिवादीनी संख्या 6 व 7 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदा सुजानगढ को आदेशित किया जाता है, कि मुताबिक निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

चीज.................................................. मुबलिग .................................................. बाबत ..................................

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .................................................. सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .................................................. फीसदी .................................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख। 6 माह 01 2025

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते

दस्तखत ........ उप खण्ड अधिकारी

ओहदा ........ सुजानगढ